::1::

प्ररूप 22

{ नियम 34ज (2) देखिए }

वाणिज्यिक श्रेणीकर्ताओं व्दारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी (पत्येक पक्ष में अर्थात 1-15 और 16-30/31 तक परतत की जाएं)

(प्रत्यक पक्ष म अथात् ।- 15 आर 16-50/51 तक प्रस्तुत का जाए)					
1	वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता का नाम	Ŧ	:		
2	अनुज्ञप्ति सं.		:		
3	पता		:		
	प्रत्येक दिन प्राप्त तम्बाकू का परिमाण		श्रेणीकृत तम्बाकू का परिमाण	परिदत्त तम्बाकू का परिमाण	अन्त में अतिशेष
	तारीख	प्राप्त परिमाण			
	जोड़:		जोड़:		
		·		<u> </u>	
4	अन्य विशिष्टयां यदि कोई हो		:		
स्थानः					

तारीख:

(कम्पनी, फर्म, आदि के कार्यकलापों के भारसाधक व्यक्ति के हस्ताक्षर)